

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

सत्तार पिता निजाम खॉ मुसलमान नि. रोपां वगैरा
बनाम

रफीक पिता बफात खॉ मुलसमान नि. रोपां वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 919 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हये
10.11.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम रोपां प. ह. रोपां तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 438/5 रकबा 2.08 बीघा, आ.न. 439/3 रकबा 2.00 बीघा, आ.न. 444/2 रकबा 2.15 बीघा, आ.न. 6181/451 रकबा 2.13 बीघा, आ. न. 6187/451 रकबा 0.06 बीघा, आ.न. 6188/451 रकबा 0.14 बीघा, आ.न. 6813/451 रकबा 0.02 बीघा कुल कित्ता 7 रकबा 10.18 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी की कब्जा कारत कृषि भूमि के पडोस में स्थित अप्रार्थीगण की आराजियात का सीमाज्ञान व सीमा बिन्दु की सही जानकारी नही होने के कारण हर साल फसल काटते बोते समय व हंकाई के समय खेत की सीमा के बारे में अप्रार्थीगण विवाद पैदा करते हे। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम रोपां प. ह. रोपां तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 438/5 रकबा 2.08 बीघा, आ.न. 439/3 रकबा 2.00 बीघा, आ.न. 444/2 रकबा 2.15 बीघा, आ.न. 6181/451 रकबा 2.13 बीघा, आ. न. 6187/451 रकबा 0.06 बीघा, आ.न. 6188/451 रकबा 0.14 बीघा, आ.न. 6813/451 रकबा 0.02 बीघा कुल कित्ता 7 रकबा 10.18 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000— रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)